

कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

'सी' ब्लॉक, तृतीय मंजिल,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर

फोन नं. 0771-2582799, 2582088 फैक्स नं. 0771-2583050

E-mail : atc.cg@nic.in & cgtransportoffice@gmail.com

क्रमांक 2226 / तक. / टीसी / 2016
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 26/08/2016


1. संचालक, कृषि एवं उद्यानिकी संचालनालय, रायपुर छत्तीसगढ़।
2. समस्त क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, छत्तीसगढ़
3. समस्त, प्रभारी परिवहन उड़नदस्ता/चेकपोस्ट, छत्तीसगढ़
4. अध्यक्ष, ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़।
5. समस्त वाहन डीलर्स, छत्तीसगढ़।

विषय :- "कम्बाईन हार्वेस्टर वाहन" को छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत कर भुगतान से छूट प्रदान करने संबंधी छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 8 अगस्त, 2016 का प्रेषण।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत "कम्बाईन हार्वेस्टर वाहन" को छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत कर भुगतान से छूट प्रदान करने संबंधी छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना दिनांक 8 अगस्त, 2016 का प्रकाशन किया गया है। नोटिफिकेशन की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



(ओ.पी. पाल)

अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

पु. क्रमांक 2226 / तक. / टीसी / 2016
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 26/08/2016

1. विशेष सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह जेल एवं परिवहन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
4. तकनीकी अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय नया रायपुर।
5. प्रोजेक्ट हेड, मेसर्स स्मार्ट चिप लिमिटेड, रायपुर छ.ग.।



अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

26/8/16

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 अगस्त 2016— श्रावण 26, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/आठ-परि./2016. — छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, “कम्बाईण्ड हार्वेस्टर वाहन” को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, जो इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा.

No. F 5-5/viii-Trans./2016. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 read with sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Motor Vehicles Taxation Act, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts “Combined Harvester Vehicle” from payment of tax leviable under the said Act with effect from the date of issuance of this notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.